संख्या-59/2024/001-2820083/12-2099/151/2023

प्रेषक,

गुन्जन दुबे,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 27 जून, 2024

विषयः-राज्या पोषित त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-11 में प्रविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या–Wheat/19/ त्वरित मक्का विकास कार्य0/2024-25, दिनांक 01 मई 2024 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-102-खाद्यान्नों की फसलें-03-त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम के मानक मद 27-सब्सिडी में धनराशि रू0 2050.00 लाख, 42-अन्य व्यय में धनराशि रू0 679.40 लाख एवं 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं का भुगतान में धनराशि रू0 7.80 लाख अर्थात कुल प्राविधानित धनराशि रू0 2737.20 लाख के सापेक्ष वित्तीय प्रबन्धन के दृष्टिगत सम्प्रति 50 प्रतिशत धनराशि रू0 1368.60 लाख (रूपये तेरह करोड़ अड़सठ लाख साठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
(2) आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश का होगा।
(3) कृषि निदेशक स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे।
(4) यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।
(5) जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
(6) कृषि निदेशक सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लेंगे। जहाँ तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय।
(7) विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा।
(8) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(9) उक्त वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान सीमा के अन्तर्गत रहेगी। यह कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश का दायित्व होगा।
(10) कोषागार से एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। धनराशि आहरित कर किसी बैंक खाते में रक्षित नही की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(11) प्रदेश में मक्का के आच्छादन एवं उत्पादन में वृद्धि के लिए राज्य सरकार द्वारा ''त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम'' योजना का संचालन किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश दिनांक 07 मार्च 2024 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन आपके द्वारा अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2401001020300 (त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	011	2401001020300 त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम	27 सब्सिडी	10,25,00,000 (रुपये दस करोड़ पच्चीस लाख मात्र)
2	011	2401001020300 त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम	42 अन्य व्यय	3,39,70,000 (रुपये तीन करोड़ उन्तालीस लाख सत्तर हजार मात्र)
3	011	2401001020300 त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	3,90,000 (रुपये तीन लाख नब्बे हजार मात्र)
	कुल			**13,68,60,000** **(रुपये तेरह करोड़ अड़सठ लाख साठ हजार मात्र)**

महायोग	13,68,60,000 (रुपये तेरह करोड़ अड़सठ लाख साठ हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-1-44-X-2024-25, दिनांक 12 जून, 2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
गुन्जन दुबे
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-59/2024/001-2820083(1)/12-2099/151/2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
4. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ,
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ,
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन,
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
गुन्जन दुबे
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।